(7)

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

शिकायत विविध वाद संख्या–14/2017–18

अखिला नन्द सिंह वगैरह बनाम राज्य एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
19/5/18	**आदेश** आवेदक अखिलानंद सिंह, पिता स्व0 काली महतो वो अर्जुन सिंह, पिता स्व0 मुनी सिंह दोनों साकिन–चण्डोस, पो0–सिगोड़ी, जिला–पटना के द्वारा यह वाद विविध वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा विविध वाद सं0 82/2017–18 में दिनांक 05.12.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया था। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा विविध वाद सं0 82/2017–18 के अन्तर्गत मौजा–चण्डोस, थाना नं0 280 खाता नं0 550, खेसरा नं0 3687 रकवा 47डी0 एवं खेसरा नं0 3696 रकवा 46डी0 पर उतरवादी का स्वामित्व एवं कब्जा घोषित करते हुए अपीलार्थी को उक्त जमीन पर पाने से रोकने का आदेश पारित किया गया था। इस न्यायालय में वाद की प्रविष्टी के पश्चात विपक्षी को नोटिस निर्गत की गयी। विपक्षी दिनांक 11.04.2018 को वकालतनामा के माध्यम से हाजिर हो चुके हैं। निम्न न्यायालय का अभिलेख भी प्राप्त है। आज उभय पक्ष उपस्थित है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा इस आशय का आवेदन दिया गया है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा विविध वाद सं0 82/2017–18 में दिनांक 05.12.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध आयुक्त पटना प्रमण्डल के न्यायालय में अपील दायर की जा चुकी है, जो विचारार्थ लम्बित है। चूँकि आवेदकगण के द्वारा आयुक्त, पटना प्रमण्डल पटना के न्यायालय में अपील दायर कर दी गयी है, अतः आवेदकगण इस न्यायालय में दायर विविध वाद सं0 14/2017–18 को वापस लेना चाहते है। उतरवादी के द्वारा इस पर कोई आपति नहीं की गई। आवेदकगण के अनुरोध पर वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें। आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज को दें। लेखापित एवं संशोधित। 19/5/18 (वज़ैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता, पटना 19/5/18 (वज़ैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता, पटना	